

10/11/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 09/12/22 को पेश हो।

31/12/22

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील उप०।  
विद्यार्थिगण वकील उप०। पत्रावली वास्ते जवाब  
देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब  
बंद किया जाता है। वकील आर्ची ने बहल सुनने का निवेदन  
किया। वकील आर्ची की बहल सुनी गई। बहल पर भवन  
किया। पत्रावली एवं लिखित दस्तावेजों का भवलेखन  
किया गया। जिले के असीर डोर है। आर्ची वकील का आर्चना  
पत्र सचीवार करने योग्य है। अतः नैरवमन्दी निर्णय अलग से  
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल  
सुमार छोड़ दी गई। संख्या से उक्त है।

27/01/23

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्यादि  
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
आईन्दा दिनांक 15/03/23 को पेश हो।

15/02/23

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील उप०।  
विद्यार्थिगण वकील उप०। पत्रावली वास्ते जवाब  
देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब  
बंद किया जाता है। वकील आर्ची ने बहल सुनने का निवेदन  
किया। वकील आर्ची की बहल सुनी गई। बहल पर भवन  
किया। पत्रावली एवं लिखित दस्तावेजों का भवलेखन  
किया गया। जिले के असीर डोर है। आर्ची वकील का आर्चना  
पत्र सचीवार करने योग्य है। अतः नैरवमन्दी निर्णय अलग से  
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल  
सुमार छोड़ दी गई। संख्या से उक्त है।

16/03/23

अधिवक्तागण हड़ताल पर होने के कारण पत्रावली  
आइन्दा दिनांक 06/04/23 को पेश हो।

06/04/23

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील उप०। विद्यार्थिगण वकील उप०।  
विद्यार्थिगण वकील से जवाब पेश करने के अनेक भवलेखन  
देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब  
बंद किया जाता है। वकील आर्ची ने बहल सुनने का निवेदन  
किया। वकील आर्ची की बहल सुनी गई। बहल पर भवन  
किया। पत्रावली एवं लिखित दस्तावेजों का भवलेखन  
किया गया। जिले के असीर डोर है। आर्ची वकील का आर्चना  
पत्र सचीवार करने योग्य है। अतः नैरवमन्दी निर्णय अलग से  
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल  
सुमार छोड़ दी गई। संख्या से उक्त है।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p><b>प्रार्थी</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रामचंद पुत्र दुदा 2. दरिया पत्नि रामचंद जातियान-मोची, निवासी-फागलिया, तहसील-सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> <li>3. हरीराम पुत्र हीराराम 4. अमरू पत्नि हरीराम जातियान-विशुनोई, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> </ol>	<p><b>विप्रार्थीगण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अनाराम पुत्र सोनाराम 2. मंगलाराम पुत्र सोनाराम</li> <li>3. दलाराम पुत्र सोनाराम 4. चतराराम पुत्र सोनाराम</li> <li>5. खेताराम पुत्र सोनाराम 6. कृष्ण पुत्र सोनाराम</li> <li>7. ईश्वर पुत्र सोनाराम 8. रूपा पुत्र रबला</li> <li>9. चमना पुत्र रबला 10. रामू पुत्र रबला जातियान कोली, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> <li>11. सुरा पुत्र जीवा 12. तगु पत्नि जीवा 13. मावा पुत्र वीरा</li> <li>14. पदमा पुत्र वीरा जाति कोली, निवासी फागलिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> </ol> <p><b>बनाम</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. सेधाराम पुत्र नवाब 16. मंगलाराम पुत्र गेफराराम</li> <li>17. गेरों पत्नि गेफराराम जाति रबारी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> <li>18. जमाल खान पुत्र नवाब 19. सदाम हुसेन पुत्र नवाब</li> <li>20. रहमतला पुत्र नवाब 21. मोहमदअली पुत्र नवाब</li> <li>22. राजबाई पत्नि नवाब 23. मोहमदरहीम पुत्र सफी मोहमद</li> <li>24. बचु खान पुत्र सफी मोहमद 25. दोषमोहमद पुत्र सफीमोहमद</li> <li>26. उमीनत पत्नि सफीमोहमद जाति मुसलमान, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> <li>27. तहसीलदार सेड़वा</li> </ol>
--	---

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन संख्या 264/2022

दिनांक : 06/04/23

### आदेश


तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के प्रार्थी संख्या 1 व 2 रामचंद पुत्र दुदा व दरिया पत्नि रामचंद का खसरा संख्या 266/11 रकबा 1.6187 हैक्टर व प्रार्थीगण संख्या 3 व 4 हरीराम पुत्र हीराराम, अमरू पत्नि हरीराम खसरा संख्या 267/11 रकबा 2.2662 हैक्टर किस्म बा.सो स्थित है। के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस उपमहानिरीक्षक से मदद हेतु अधिकृत किया जाता है।



प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र दूदा वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण अनाराम पुत्र सोनाराम वगैरा ।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ ।

  
 (रामजी मिश्रा) सेड़वा  
 उपखण्ड अधिकारी  
 01/सेड़वा सेड़वा  
 दिनांक 06/04/23

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सेड़वा  
 (SDO) सेड़वा